

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र.

टेलीफोन नं. - 07522-234001

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com

Website- www.datiamedicalcollege.com

datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन नं. 475661

क्रमांक -10064/स्था./एस.आर./द.चि.म/2022

दतिया, दिनांक - 09/12/2022

// विज्ञापन //

संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल के आदेश क्र. 2-15/2022/01/55/स्था.राज/2021 दिनांक 24/12/2021 में प्रदत्त अनुमति एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 04/03/2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा, शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2-42/07/1/55, भोपाल दिनांक 17/12/2021 में चयन प्रक्रिया के संबंध में वर्णित नियम एवं शर्तों के आधार पर सीनियर रेजीडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 3 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू प्रत्येक मंगलवार को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में आयोजित किये जायेंगे। प्रथम नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी तत्पश्चात प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा एवं स्पष्ट अभिमत पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम कुल तीन वर्ष तक आगे बढ़ाई जावेगी।

(सीनियर रेजीडेन्ट निश्चित वेतन रुपये 80,811/- प्रतिमाह)

विभाग	रिक्त कुल पद	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	ओ.वी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस
जनरल मेडिसिन	03	01	00	01	01	00
रेडियोडायग्नोसिस	01	01	00	00	00	00
निश्चेतना विभाग	02	00	01	00	01	00
इमरजेंसी मेडिसिन	05	02	01(01F)	00	01	01
कुल	11	04	02	01	03	01

(Female) महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरुष वर्ग से भरा जावेगा।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27 प्रतिशत के संबंध में दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सीनियर रेजीडेन्ट पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरांत प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार (कार्य दिवस) को प्रातः 10:00 से दोपहर 12:00 बजे तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के कार्यकाल में आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेंगे। तत्पश्चात प्राप्त दस्तावेजों के स्क्रीटिनी समिति द्वारा स्क्रीटिनी के उपरांत पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार कर दोपहर 01:00 बजे कॉलेज काउंसिल रूम में आयोजित किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु प्रथम से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

चयनविधि :-

1. अधिष्ठाता द्वारा कॉलेज नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाइट के माध्यम से इन पदों के लिये विज्ञप्ति जारी किया जावेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
2. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों की दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिए प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
3. चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।
4. चयनित सीनियर रेजीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

टेन्युअर (Tenure)

1. टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।
2. एक वर्ष की टेन्युअर पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोष प्रदाय होने पर संबंधी की गई अनुसार अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
3. विभाग में पदस्थ सीनियर रेजीडेन्ट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, संवद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम अध्यापक की गठित समिति के परामर्श से ऐसे सीनियर रेजीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :-

1. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
2. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों की रिक्त सीटों विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेजीडेन्सी हेतु चिकित्सकों का चयन होगा।
3. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :- सीनियर रेजीडेन्ट प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। तथा प्रति वर्ष 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। सप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृत्ति :- मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित सीनियर रेजीडेन्ट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

1. अवधि :-सीनियर रेजीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष होगी। इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।

2. नियुक्ति तरीका :—योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा परीक्षा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. आवेदन शुल्क :— सीनियर रेजीडेंट के पद हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु किसी प्रकार का शुल्क लागू नहीं होगा, आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क होगी।
4. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने पात्रता नहीं होगी।
5. यात्रा भत्ता:— साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

अन्य शर्तें :—

1. चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्षों में 12 दिवस के आकरिमक अवकाश की पात्रता होगी। तथा सप्ताह में 01 दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। पर इन रेसीडेंट से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को मध्य प्रदेश राज्य मेडीकल काउंसिल अथवा मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्कूटनी समिति के समक्ष यह शपथ —पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है। यदि उनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज हैं तो उन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
9. साक्षात्कार के समय यदि विभाग में ओ.बी.सी. पद रिक्त हैं तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में ओ.बी.सी. श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
10. बॉण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बॉण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है किन्तु मैंने अपनी जोइनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ—पत्र शासकीय सेवा के अंतर्गत बॉण्ड के बदले सीनियर रेसीडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

1165

चयनविधि :-

1. अधिष्ठाता द्वारा कॉलेज नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाइट के माध्यम से इन पदों के लिये विज्ञप्ति जारी किया जावेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
2. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों की दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिए प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
3. चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।
4. चयनित सीनियर रेजीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

टेन्युअर (Tenure)

1. टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।
2. एक वर्ष की टेन्युअर पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोष प्रदाय होने पर संबंधी की गई अनुसार अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
3. विभाग में पदस्थ सीनियर रेजीडेन्ट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, संवद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम अध्यापक की गठित समिति के परामर्श से ऐसे सीनियर रेजीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :-

1. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
2. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों की रिक्त सीटों विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेजीडेन्सी हेतु चिकित्सकों का चयन होगा।
3. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :- सीनियर रेजीडेन्ट प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। तथा प्रति वर्ष 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। सप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृत्ति :- मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित सीनियर रेजीडेन्ट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

1. अवधि :-सीनियर रेजीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष होगी। इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।

प्रतिलिपि-

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चरपा करने हेतु।
3. स्थापना शाखा, शा.चि.म., दतिया की ओर रिकॉर्ड हेतु।
4. डॉ. मनोहर भाटिया, शा.चि.म. दतिया की ओर कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)